राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 00672/2024

श्रीमती सरिता शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. रजिस्टार, राजस्व बोर्ड, अजमेर।
3. जिला अधिकारी (भू–अभिलेख), झालावाड़।
4. तहसीलदार, झालरापाटन, झालावाड़।
5. श्री जितेन्द्र कुमार जैमिनी, वर्तमान निरीक्षक (भू–अभिलेख) के पद पर दुर्गपुरा सर्किल, झालरापाटन, झालावाड़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 01.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गोविंद शर्मा, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी वर्तमान में निरीक्षक (भू–अभिलेख) के पद पर झालरापाटन, झालावाड़ में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापित स्थान से रिजर्व भू–अभिलेख निरीक्षक के पद पर असनावर में किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण एक वर्ष से कम अवधि के भीतर ही 100 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के पति भी एक सरकारी कर्मचारी है। जो कि नर्स–2 के पद पर एसआरजी अस्पताल एवं चिकित्सा विश्वविद्यालय झालावाड़ में कार्यरत है। अपीलार्थी की एक पुत्री है जो कि झालरापाटन में अध्ययनरत है इसलिए अपीलार्थी के स्थानान्तरण इनकी पुत्री के अध्ययन में परेशानी होगी तथा अपीलार्थी की सास वृद्धावस्था से पीड़ित है जिनकी देखभाल करने के लिए अपीलार्थी के अलावा परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित

(accommodate) करने के उद्देश्य से किया गया है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया,

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावे कि आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) को निरस्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान झालरापाटन, झालावाड़ में निरीक्षक (भू–अभिलेख) के पद पर कार्यरत रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी चार सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य